सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2012/32** दायर दिनांक **08.02.2012**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हरलाराम उर्फ हरलाल पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगलीया, उम्र–60साल, 2. बुधाराम पुत्र पुर्णाराम, उम्र–30साल, 3. जेराम पुत्र दुर्गाराम उर्फ पूर्णा, उम्र–70साल, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. हणमानाराम पुत्र मांगीया, जाति–मेघवाल, निवासी–भवाद, 2. श्रवण पुत्र मोहना, जाति–मेघवाल, निवासी–भावाद, मूलनिवासी–खाटू बड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. भाउड़ा पुत्र पूर्णाराम उर्फ दुर्गा, जाति–मेघवाल, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. किशनादेवी पत्नी रामनिवास, जाति–मेघवाल, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **05.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद भवाद में वादीगण के पिता व दादा मंगला उर्फ मंगलीया के नाम पुराना खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 02.09 बीघा, खसरा नम्बर 100 रकबा 03.16 बीघा, खसरा नम्बर 44 रकबा 58.13 बीघा, खसरा नम्बर 39 रकबा 32.11 बीघा, खसरा नम्बर 62 रकबा 30.12 बीघा, खसरा नम्बर 104 रकबा 65.09 बीघा जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा, खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा, खसरा नम्बर 29 रकबा 24.08 बीघा, खसरा नम्बर 36 रकबा 02.17 बीघा,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2012/32
दायर दिनांक 08.02.2012, निर्णय दिनांक 05.06.2017
हरलाराम उर्फ हरलाल, वगैरा बनाम् हणमानाराम, वगैरा।

खसरा नम्बर 237 रकबा 16.19 बीघा तथा खसरा नम्बर 140 रकबा 41.17 बीघा में से रकबा 15.08 बीघा है जो वादीगण की पैतृक सम्पत्ति की भूमि है। गत भू–प्रबन्धक पत्रक एवं खसरा मिलान तथा वर्तमान खतौनियां की प्रमाणित प्रतिलिपियां वाद के साथ पेश है।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा, खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा, कुल रकबा 05.15 बीघा, खसरा नम्बर 29 रकबा 24.08 बीघा, खसरा नम्बर 36 रकबा 02.17 बीघा व खसरा नम्बर 237 रकबा 16.19 बीघा, कुल रकबा 44.04 बीघा तथा खसरा नम्बर 140 रकबा 41.17 बीघा में से 15.08 बीघा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की पैतृक सम्पत्ति है जिसकी पुरानी खतौनी सम्वत् 2018 में उक्त भूमि स्व0 मंगला उर्फ मंगलीया के नाम राम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। इसलिए उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार रहा है। मगर उक्त भूमि में सहवन से तथा प्रतिवादी हणमाना का पिता स्व0 मांगीया सबसे बड़ा भाई होने एवं कर्त्ताखानदान होने से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में डलवा लिया या राजस्व कर्मचारियों की भूल से वादीगण का नाम वर्तमान खतौनी में दर्ज नहीं हो सका। इसलिए वादीगण को घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी सुविधा के अनुसार 1/3, 1/3 हिस्से पर काश्त करते आये हैं तथा मौक पर भी वर्तमान समय में वादी हरलाल का 1/3 हिस्सा व वादीगण संख्या 02 ता 04 व प्रतिवादी भाउड़ा का भी 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी हणमानाराम का कब्जाकाश्त आज दिन तक है, जो निम्न प्रकार है:–

(अ) वादी हरलाराम उर्फ हरलाल के बन्ट की भूमि–

खसरा नम्बर 140 रकबा 41.17 बीघा में से 15.08 बीघा में से 1/2 हिस्सा यानि रकबा 07.14 बीघा पश्चिमी भाग, खसरा नम्बर 29 रकबा 24.08 बीघा में से 1/2 हिस्सा पूर्वी तरफ, खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा व खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा कुल रकबा 05.15 बीघा में बीच का 1/3 हिस्सा।

(ब) वादी बुधाराम, जेराम, चौथूड़ी व प्रतिवादी भाउड़ा के बन्ट की भूमि–

खसरा नम्बर 140 रकबा 41.17 बीघा में से रकबा 15.08 बीघा में से 1/2 हिस्सा यानि रकबा 07.14 बीघा पूर्वी तरफ का, खसरा नम्बर 29 रकबा 24.08 बीघा में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ का, खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा, खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा कुल रकबा 05.15 बीघा में से 1/3 हिस्सा दक्षिणी तरफ का।

(स) प्रतिवादी हणमानाराम के बन्ट की भूमि–

खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा व खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा कुल रकबा 05.15 बीघा में से 1/3 हिस्सा उत्तर की तरफ, खसरा नम्बर 36 रकबा 02.17 बीघा, खसरा नम्बर 237 रकबा 16.19 बीघा।

उपर्युक्तानुसार भूमि का बन्टवारा पक्षकारान् के मध्य अरसे–दराज से हो रखा है। मोहना वादीगण का भाई अवश्य है मगर वह पुनर्विवाह कर मोहनी से कर भवाद छोड़कर छोटीखाटु में जाकर बस गया। इसलिए श्रवण का उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहा और वादीगण व प्रतिवादी हणमानाराम का उक्त भूमि में 1/3, 1/3 हिस्सा है।

2

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी हणमानाराम ने खसरा नम्बर 237 रकबा 16.19 बीघा में से 240 / 678 हिस्सा बिना बन्टवारा करवाये प्रतिवादीनी किशनादेवी पत्नी रामनिवास को बैचाण कर दिया, ऐसा करने करने का प्रतिवादी हणमानाराम को काई हक अधिकार नहीं था। हणमानाराम पैतृक सम्पत्ति को खुर्दबुर्द करने में लगा हुआ है व वादीगण की बची हुई सम्पत्ति को बैचने की एलानियां धमकी देता रहता है तथा दिनांक 15.01.2012 को प्रतिवादी हणमानाराम ने वादीगण को धमकी दी कि इस वर्ष काश्त नहीं करने देगा। यदि प्रतिवादी हणमानाराम ने उक्त भूमि का बैचाण कर दिया तो वादीगण को अजहद नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी करना सम्भव नहीं होगा।

बिनाया दावा दिनांक 15.01.2012 को प्रतिवादी हणमानाराम द्वारा धमकी देने व दिनांक 19.01.2012 को वर्तमान खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद भवाद में खेत खसरा नम्बर 29 रकबा 24.08 बीघा, खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 02.17 बीघा, खेत खसरा नम्बर 237 रकबा 16.19 बीघा, खेत खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा, खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा व खेत खसरा नम्बर 140 रकबा 41.17 बीघा में से रकबा 15.08 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ खातेदार घोषित किया जावे।

वाद के पद संख्या चार में वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि का विधिवत् बन्टवारा कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत् 2064–2067 तक खेवट संख्या 156 की प्रमाणित की प्रतिलिपि, जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत् 2064–2067 तक खेवट संख्या 157 की प्रमाणित की प्रतिलिपि, जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत् 2064–2067 तक खेवट संख्या 155 की प्रमाणित की प्रतिलिपि, खसरा पत्रक सम्वत् 2018 न्यायालय में पेश हुई।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित हुए। पक्षकारान् को सुना गया। पक्षकारान् ने दावानुसार, दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

पक्षकारान् ने अपने मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने की मंशा जाहिर की व वादी के द्वारा चाहे गये अनुतोषानुसार वादी का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया। चूँकि वादी के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। अतः बाद विवचेन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2012/32
दायर दिनांक 08.02.2012, निर्णय दिनांक 13.06.2017
हरलाराम उर्फ हरलाल, वगैरा बनाम् हणमानाराम, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा सरहद भवाद में खसरान् भूमि का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स कर, निम्नानुसार डिक्री सादिर की जारी है, कि:–

1. खसरा नम्बर 140 रकबा 41.17 बीघा में से रकबा 15.08 बीघा में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी भाग, खसरा नम्बर 29 रकबा 24.08 बीघा में से 1/2 हिस्सा पूर्वी तरफ, खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा व खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा में से बीच का 1/3 हिस्सा का वादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 140 रकबा 41.17 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग पूर्वी तरफ, खसरा नम्बर 29 रकबा 24.08 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग पश्चिमी तरफ एवं खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा, खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा में से 1/3 हिस्सा दक्षिणी तरफ से का वादीगण संख्या 02 ता 04 व प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा व खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा में से 1/3 हिस्सा उत्तर की तरफ, खसरा नम्बर 36 रकबा 02.17 बीघा, खसरा नम्बर 237 रकबा 16.19 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरवालिया

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 13.06.2017 को कोर्ट कैम्प–खरवालिया में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरवालिया

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2012/32 दायर दिनांक 08.02.2012

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हरलाराम उर्फ हरलाल पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगलीया, उम्र–60साल, जाति–मेघवाल, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम्	1. हणमानाराम पुत्र मांगीया, जाति–मेघवाल, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 05.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा सरहद भवाद में खसरान् भूमि का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स कर, निम्नानुसार डिक्री सादिर की जारी है, किः–

1. खसरा नम्बर 140 रकबा 41.17 बीघा में से रकबा 15.08 बीघा में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी भाग, खसरा नम्बर 29 रकबा 24.08 बीघा में से 1/2 हिस्सा पूर्वी तरफ, खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा व खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा में से बीच का 1/3 हिस्सा का वादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 140 रकबा 41.17 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग पूर्वी तरफ, खसरा नम्बर 29 रकबा 24.08 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग पश्चिमी तरफ एवं खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा, खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा में से 1/3 हिस्सा दक्षिणी तरफ से का वादीगण संख्या 02 ता 04 व प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 44 रकबा 02.09 बीघा व खसरा नम्बर 76 रकबा 03.06 बीघा में से 1/3 हिस्सा उत्तर की तरफ, खसरा नम्बर 36 रकबा 02.17 बीघा, खसरा नम्बर 237 रकबा 16.19 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसुब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरवालिया

(मुहर: सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरवालिया

(मुहर: सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned by CamScanner